प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 06.08.2024

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.08.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया की तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्त गौरव पुत्र चन्द्रपाल द्वारा वादिया का रास्ता रोककर पीछा करना, छेड़खानी करना व वादिया एवं वादिया के परिजनों को जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 05-08-2024 को ही थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दौराने तलाश, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गौरव पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी दुर्गा ज्वैलर्स वाली गली शंकर विहार कॉलोनी लाल कुँआ थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को हाईटेक चौराहा सारे होम्स लाल कुँआ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर अपने बचाव में बताया कि मैं उक्त महिला का काफी दिन से पीछा कर रहा था तथा बात करना चाह रहा था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

गौरव पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी दुर्गा ज्वैलर्स वाली गली शंकर विहार कॉलोनी लाल कुँआ गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.08.2023 को एन्टी फ्राडॅ सैल की जाँच पर आवेदक श्री राजकुमार पुत्र श्री दीपचंद्र सी -2/1 कोट लाईन सिविल लाईन दिल्ली का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अभियुक्त मौहम्मद रहीश पुत्र मो0 बहीद निवासी त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद द्वारा 03 अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर आवेदक को 1400 वर्ग जमीन धोखाधड़ी से बेचकर पैसा हड़प कर लेना व बेची जमीन पर अवैध कब्जा कर लेना, मारपीट करना व गाली गलौज कर धमकी देना। जिसके सम्बध में थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 05.08.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद रहीश पुत्र मो0 बहीद निवासी त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त रहीश द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर लोनी में प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता हूँ। मैने प्लाट बेचने के नाम पर कई लोगो से पैसे ले रखे थे मुझ पर कर्जा हो गया तो मैने अपने साथियो के साथ मिलकर लोनी में एक प्लाट की फर्जी पावर अटॉर्नी तैयार कर दिल्ली के रहने वाले राजकुमार पुत्र श्री दीपचंद्र को बेच दिया गया। प्लाट मेरा न होने के कारण मै प्लाट का बैनामा नही करा सका। और प्लाट पर हमने अपना कब्जा बनाये रखा। जब राजकुमार पुत्र श्री दीपचंद्र उपरोक्त ने मुझ से पैसे मागे तो हमने उसके साथ गाली गलौच व धमकी देकर भगा दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मौहम्मद रहीश पुत्र मो0 बहीद निवासी त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र 52 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 06.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.शकील पुत्र मौ0 आलम निवासी गली नम्बर 03 अशोक भाटी का किराये का मकान गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी गांव साईगम आजयतनगर जिला कठिहार बिहार उम्र 19 वर्ष, 2.मौ0 हुसैन पुत्र जहीर अहमद निवासी ए 1/103 एफ 4 दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गंदे नाले की पुलिया से करीब 25 कदम दूर गंदे नाले की दायी तरफ की सर्विस रोड़ पर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तगणों उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया की हम दोनों मिलकर गली व सड़क पर खड़ी मोटर साइकिल की चोरी करते है। हम दोनों से प्राप्त यह मोटर साइकिल भी चोरी की है। जिसको हमने 01 महिने पहले रेलवे स्टेशन विजयनगर के पास से चोरी की थी। जिसे हम बेचने के फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. शकील पुत्र मौ0 आलम निवासी गली नम्बर 03 अशोक भाटी का किराये का मकान गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी गांव साईगम आजयतनगर जिला कठिहार बिहार उम्र 19 वर्ष।
2. मौ0 हुसैन पुत्र जहीर अहमद निवासी ए 1/103 एफ 4 दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:
अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन व थाना विजयनगर पर चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.02.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी सुभाषचन्द पुत्र स्व0 रघुवर निवासी यमुना विहार दिल्ली द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि शौकीन अली, योगिता किरन द्वारा अन्य के साथ मिलकर मेरे प्लाट के कूटरचित फर्जी मुख्तार नामा तैयार कराकर षड्यंत्र के तहत शौकीन अली द्वारा अपनी पुत्रवधु हिना पत्नी राज के नाम कर देना तथा बाद में उक्त प्लाट को हिना पत्नी राज द्वारा अन्य के नाम रजिस्ट्री कर देने तथा वादी के मकान के कमरे का ताला तोड़कर सामान भर ले जाना व मकान पर धोखे से कब्जा कर लेने तथा वादी को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई। तत्पश्चात दिनांक 11.07.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में पतारसी सुरागरसी व तलाश वांछित के दौरान 02 अभियुक्तों शौकीन अली व राज पुत्र शौकीन अली निवासीगण शह विस्वा कालोनी निकट अबुसलमा मस्जिद कस्बा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आज दिनांक 06.08.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र शौकीन को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण पूछताछ करने पर अभियुक्त सलमान पुत्र शौकीन द्वारा बताया गया कि पहले मैं अपने परिवार के साथ उपरोक्त मकान में किराये पर रहता था। किराये पर रहने के दौरान ही मैंने व मेरे परिजनों द्वारा उपरोक्त मकान के फर्जी तरीके से कागजात तैयार उसकी पावर आफ अटार्नी हिना पत्नी राज के नाम करा दी। उसके बाद हिना पत्नी राज से उपरोक्त मकान की पावर आफ अटार्नी योगिता किरण पुत्री घनश्याम के नाम करा दी थी तथा फिर एक दिन हम सबने मिलकर उक्त मकान के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा सुभाषचन्द का सामान भी निकाल लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

सलमान पुत्र शौकीन नि0 शह विस्वा कालोनी निकट अबुसलमा मस्जिद कस्बा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा बैग छीन कर ले जाने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2000/- रुपये बरामद।

दिनांक 15.03.2024 को वादी अजय कुमार निवासी ग्राम कोलिनडुबा जनपद सोनभद्र ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी थी कि एक व्यक्ति मेरा बैग छीनकर ले गया बैंग मे सैमसंग का मोबाइल फोन व इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट की मदद से बैग छीनकर कर ले जाने वाले एक अभियक्त संजीव वर्मा को विजय नगर ओवर ब्रिज से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संजीव वर्मा के कब्जे से मोबाइल फोन बेचने के 2000/- रुपये बरामद किये गये है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेने 06 माह पूर्व रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति से बैग छीना था उस बैंग मे एक सैमसंग मोबाइल फोन व एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। पकडे जाने के डर से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हिन्डन नदी मे फेंक दिया तथा मोबाइल फोन राहगीर व्यक्ति को 05 हजार रुपये मे बेच दिया था 2000/- रुपये बरामद हुए है बेचे गये मोबाइल फोन के है।

नाम पता अभियुक्त

संजीव वर्मा पुत्र बाकेलाल निवासी- 2413/10 त्रिलोकी पुरम पीरबहाद्दीन हापुड हाल पता बुलन्दशहर रोड स्टेट वैंक के पीछे सैनी नगर उम्र 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त - कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग लूट का पंजीकृत।

बरामदगी

1- 2000/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 05.08.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादी श्री हमीद खान पुत्र रजाक खान निवासी- म0नं0-26 नियर मदरसा फर्रूखनगर टीलामोड़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साइकिल मैंन चौपला ठण्डी गली फर्रूखनगर से चोरी हो गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल

इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.08.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त संदीप पुत्र विनोद निवासी अफजलपुर निस्तौली थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को कोयल एनक्लेव के अंदर पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः</u>
संदीप पुत्र विनोद निवासी अफजलपुर निस्तौली थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।